# *भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय*

## मांग संख्या 50

### भारी उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2009-2010 | | | बजट 2010-2011 | | | संशोधित 2010-2011 | | | बजट 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | राजस्व | 153.67 | 554.36 | 708.03 | 263.30 | 111.71 | 375.01 | 239.30 | 118.24 | 357.54 | 359.10 | 56.65 | 415.75 |
| | ***पूंजी*** | ***55.99*** | *312.44* | *368.43* | *106.70* | *400.00* | *506.70* | *71.70* | *631.46* | *703.16* | *39.90* | *400.00* | *439.90* |
| | **जोड़** | **209.66** | **866.80** | **1076.46** | **370.00** | **511.71** | **881.71** | **311.00** | **749.70** | **1060.70** | **399.00** | **456.65** | **855.65** |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | 1.48 | 14.69 | 16.17 | 1.90 | 14.58 | 16.48 | 1.90 | 14.95 | 16.85 | 3.70 | 16.64 | 20.34 |
| **उद्योग** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास | 2852 | ... | 14.03 | 14.03 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 25.00 | 25.00 |
| 3. राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण एवं आरएंडडी अवसंरचना परियोजना | 2852 | 145.59 | ... | 145.59 | 232.14 | ... | 232.14 | 232.14 | ... | 232.14 | 355.40 | ... | 355.40 |
| 4. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड को अनुदान | 2852 | ... | ... | ... | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 1.00 | 1.00 |
| 5. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2852 | ... | 0.06 | 0.06 | ... | ... | ... | ... | 0.13 | 0.13 | ... | ... | ... |
| 6. भारत यंत्र निगम लिमिटेड | 2852 | ... | 1.17 | 1.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड | 2852 | ... | 2.30 | 2.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण | 2852 | ... | ... | ... | 24.00 | ... | 24.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता | 2852 | ... | 10.27 | 10.27 | ... | 15.00 | 15.00 | ... | 13.76 | 13.76 | ... | 14.00 | 14.00 |
| 10. अन्य व्यय | 2852 | 6.60 | ... | 6.60 | 5.26 | 0.01 | 5.27 | 5.26 | 0.01 | 5.27 | ... | 0.01 | 0.01 |
| **जोड़-उद्योग** | | **152.19** | **27.83** | **180.02** | **261.40** | **42.01** | **303.41** | **237.40** | **35.90** | **273.30** | **355.40** | **40.01** | **395.41** |
| 11. तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान | 2802 | ... | ... | ... | ... | 55.12 | 55.12 | ... | 61.54 | 61.54 | ... | ... | ... |
| 12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 4552 | ... | ... | ... | 37.00 | ... | 37.00 | 31.10 | ... | 31.10 | 39.90 | ... | 39.90 |
| 13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पनुर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान | 4858 | ... | ... | ... | 25.00 | ... | 25.00 | 2.33 | ... | 2.33 | ... | ... | ... |
| *14. ऋण का 3.5 प्रतिशत वरीयता शेयर पूंजी में परिवर्तन* | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 इंस्ट्रूमेंनटेशन लिमिटेड, कोटा | 4858 | 45.68 | ... | 45.68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण* | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01 स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना और सांविधिक देयों हेतु एकमुश्त प्रावधान | 6858 | ... | ... | ... | ... | 250.00 | 250.00 | ... | 129.42 | 129.42 | ... | 250.00 | 250.00 |

http://indiabudget.nic.in

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2009-2010 | | | बजट 2010-2011 | | | संशोधित 2010-2011 | | | बजट 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| 15.02 लोक उद्यमों के लिए पुनरूज्जीवन योजना हेतु एकमुश्त प्रावधान | 6854 | ... | ... | ... | ... | 150.00 | 150.00 | ... | 48.72 | 48.72 | ... | 150.00 | 150.00 |
| 15.03 इंजीनियरिंग उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.01 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड | 6858 | ... | 13.15 | 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15.03.02 एचएमटी लिमिटेड | 6858 | ... | 166.19 | 166.19 | ... | ... | ... | ... | 351.02 | 351.02 | ... | ... | ... |
| 15.03.03 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड | 6858 | ... | 55.65 | 55.65 | ... | ... | ... | ... | 48.55 | 48.55 | ... | ... | ... |
| 15.03.04 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड | 6858 | ... | 28.43 | 28.43 | ... | ... | ... | ... | 21.94 | 21.94 | ... | ... | ... |
| 15.03.05 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड | 6858 | ... | 1.47 | 1.47 | ... | ... | ... | ... | 1.42 | 1.42 | ... | ... | ... |
| 15.03.06 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्स लिमिटेड | 6858 | ... | 1.20 | 1.20 | ... | ... | ... | ... | 1.20 | 1.20 | ... | ... | ... |
| 15.03.07 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड | 6858 | 2.31 | ... | 2.31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *जोड़- इंजीनियरिंग उद्योग* | | *2.31* | *266.09* | *268.40* | ... | ... | ... | ... | *424.13* | *424.13* | ... | ... | ... |
| 15.04 उपभोक्ता उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.01 नेपा लिमिटेड | 6860 | ... | 10.29 | 10.29 | ... | ... | ... | ... | 16.92 | 16.92 | ... | ... | ... |
| 15.04.02 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड | 6860 | ... | 36.06 | 36.06 | ... | ... | ... | ... | 12.27 | 12.27 | ... | ... | ... |
| *जोड़- उपभोक्ता उद्योग* | | ... | *46.35* | *46.35* | ... | ... | ... | ... | *29.19* | *29.19* | ... | ... | ... |
| *जोड़- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण* | | *2.31* | *312.44* | *314.75* | ... | *400.00* | *400.00* | ... | *631.46* | *631.46* | ... | *400.00* | *400.00* |
| *16. ऋण बट्टे खाते डालना* | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01 राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड | 2852 | ... | 2.01 | 2.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.02 इंस्ट्रूमेंनटेशन लिमिटेड, कोटा | 2852 | ... | 246.10 | 246.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.03 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड | 2852 | ... | 1.67 | 1.67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.04 घटाए - निवल प्राप्तियां | 0852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *निवल* | ... | *249.78* | *249.78* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *17. ऋण माफ करना* | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड | 2852 | ... | 0.35 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17.02 बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड | 2852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 639.15 | 639.15 | ... | ... | ... |
| 17.03 इंस्ट्रूमेंनटेशन लिमिटेड, कोटा | 2852 | ... | 258.26 | 258.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17.04 घटाए - निवल प्राप्तियां | 0049 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -639.15 | -639.15 | ... | ... | ... |
| | *निवल* | ... | *258.61* | *258.61* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *18. इक्विटी को घटाकर रखना* | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड | 2852 | ... | 3.33 | 3.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18.02 बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड बीबीयूएनएल की सहायक कम्पनी | 2852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 500.01 | 500.01 | ... | ... | ... |
| 18.03 घटाए - निवल प्राप्तियां | 0852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -500.01 | -500.01 | ... | ... | ... |

http://indiabudget.nic.in

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2009-2010 | | | बजट 2010-2011 | | | संशोधित 2010-2011 | | | बजट 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| *निवल* | | ... | *3.33* | *3.33* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *19. गारंटी फीस माफ करना* | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन | 2852 | ... | 2.53 | 2.53 | ... | ... | ... | ... | 2.53 | 2.53 | ... | ... | ... |
| 19.02 एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड | 2852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.28 | 1.28 | ... | ... | ... |
| 19.03 एचएमटी लिमिटेड | 2852 | ... | 1.22 | 1.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19.04 घटाए - निवल प्राप्तियां | 0075 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -3.81 | -3.81 | ... | ... | ... |
| *निवल* | | ... | *3.75* | *3.75* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड को अनुदान | 2852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.85 | 5.85 | ... | ... | ... |
| *21. बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड बीबीयूएनएल की सहायक के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलना* | | | | | | | | | | | | | |
| 21.01 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड | 4858 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 22. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | 4854 | ... | ... | ... | 5.01 | ... | 5.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| | 4858 | ... | ... | ... | 13.89 | ... | 13.89 | 22.46 | ... | 22.46 | ... | ... | ... |
| | 4860 | 4.00 | ... | 4.00 | 6.03 | ... | 6.03 | 1.02 | ... | 1.02 | ... | ... | ... |
| | 6858 | ... | ... | ... | 13.77 | ... | 13.77 | 13.77 | ... | 13.77 | ... | ... | ... |
| | 6860 | 4.00 | ... | 4.00 | 6.00 | ... | 6.00 | 1.00 | ... | 1.00 | ... | ... | ... |
| *जोड़* | | *8.00* | ... | *8.00* | *44.70* | ... | *44.70* | *38.26* | ... | *38.26* | ... | ... | ... |
| 23. वास्तविक वसूलियां | 2852 | ... | -3.63 | -3.63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ***कुल जोड़*** | | ***209.66*** | ***866.80*** | ***1076.46*** | ***370.00*** | ***511.71*** | ***881.71*** | ***311.00*** | ***749.70*** | ***1060.70*** | ***399.00*** | ***456.65*** | ***855.65*** |

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश** | | | | | | | | | | | | | |
| *इंजीनियरिंग उद्योग* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स | 12858 | ... | 1713.00 | 1713.00 | ... | 1924.00 | 1924.00 | ... | 1924.00 | 1924.00 | ... | 1401.00 | 1401.00 |
| 2. एचएमटी लिमिटेड | 12858 | ... | ... | ... | 20.04 | 10.00 | 30.04 | 20.04 | 10.00 | 30.04 | ... | ... | ... |
| 3. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड | 12858 | ... | 127.48 | 127.48 | ... | 58.41 | 58.41 | ... | 58.41 | 58.41 | ... | 82.20 | 82.20 |
| 4. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड | 12858 | ... | ... | ... | 4.01 | ... | 4.01 | 4.01 | ... | 4.01 | ... | ... | ... |
| 5. हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड | 12858 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 6. इंस्ट्रूमेंनटेशन लिमिटेड कोटा | 12858 | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 | 5.03 | ... | 5.03 | ... | ... | ... |
| 7. एंड्रूयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड | 12858 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 8. भारत यंत्र निगम लिमिटेड | 12858 | 0.04 | 60.56 | 60.60 | 0.04 | 40.00 | 40.04 | ... | 40.00 | 40.00 | ... | 44.00 | 44.00 |
| 9. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड | 12858 | ... | ... | ... | 3.53 | ... | 3.53 | 3.53 | ... | 3.53 | ... | ... | ... |

http://indiabudget.nic.in

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड | 12858 | ... | 1.01 | 1.01 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 14.00 | 14.00 |
| 11. इंस्ट्रूमेंनटेशन लिमिटेड कोटा/राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड | 12858 | ... | ... | ... | ... | 11.47 | 11.47 | 3.57 | 11.47 | 15.04 | ... | 1.00 | 1.00 |
| 12. नेशनल ऑटोमेटिव टैस्टिंग आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट | 12858 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 9.00 | 9.00 |
| 13. फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट | 12858 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 1.25 | 1.25 | ... | 1.25 | 1.25 | ... | 1.00 | 1.00 |
| **जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग** | | **0.05** | **1904.80** | **1904.85** | **27.66** | **2068.13** | **2095.79** | **36.20** | **2068.13** | **2104.33** | **...** | **1552.20** | **1552.20** |
| *उपभोक्ता उद्योग* | | | | | | | | | | | | | |
| 14. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड | 12860 | ... | 152.94 | 152.94 | 0.02 | 364.31 | 364.33 | 0.02 | 364.31 | 364.33 | ... | 40.87 | 40.87 |
| 15. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड | 12860 | ... | 16.42 | 16.42 | ... | 12.34 | 12.34 | ... | 12.34 | 12.34 | ... | 8.50 | 8.50 |
| 16. नेपा लिमिटेड | 12860 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 17. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड | 12860 | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 12860 | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | ... | ... | ... |
| 19. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड | 12860 | ... | 44.84 | 44.84 | ... | 2.20 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.20 |
| **जोड़-उपभोक्ता उद्योग** | | **...** | **214.20** | **214.20** | **12.03** | **378.85** | **390.88** | **2.03** | **378.85** | **380.88** | **...** | **51.57** | **51.57** |
| *सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग* | | | | | | | | | | | | | |
| 20. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड | 12854 | ... | 1.96 | 1.96 | 0.01 | 138.02 | 138.03 | 0.01 | 138.02 | 138.03 | ... | 122.02 | 122.02 |
| 21. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन | 12854 | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़-सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग** | | **...** | **1.96** | **1.96** | **5.01** | **138.02** | **143.03** | **0.01** | **138.02** | **138.03** | **...** | **122.02** | **122.02** |
| **जोड़** | | **0.05** | **2120.96** | **2121.01** | **44.70** | **2585.00** | **2629.70** | **38.24** | **2585.00** | **2623.24** | **...** | **1725.79** | **1725.79** |
| **ग. योजना परिव्यय** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. इंजीनियरी उद्योग | 12858 | 201.66 | 1904.80 | 2106.46 | 315.96 | 2068.13 | 2384.09 | 277.87 | 2068.13 | 2346.00 | 359.10 | 1552.20 | 1911.30 |
| 2. उपभोक्ता उद्योग | 12860 | 8.00 | 214.20 | 222.20 | 12.03 | 378.85 | 390.88 | 2.02 | 378.85 | 380.87 | ... | 51.57 | 51.57 |
| 3. सीमेंट और अधात्विक खनन उद्योग | 12854 | ... | 1.96 | 1.96 | 5.01 | 138.02 | 143.03 | 0.01 | 138.02 | 138.03 | ... | 122.02 | 122.02 |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 37.00 | ... | 37.00 | 31.10 | ... | 31.10 | 39.90 | ... | 39.90 |
| **जोड़** | | **209.66** | **2120.96** | **2330.62** | **370.00** | **2585.00** | **2955.00** | **311.00** | **2585.00** | **2896.00** | **399.00** | **1725.79** | **2124.79** |

1. **सचिवालय:** भारी उद्योग विभाग के साचिवालय व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध् कराता है। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ-साथ विकास, सॉफ्टवेयर का रख-रखाव और कार्यालय परिसरों के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौघोगिकी के लिए धनराशि भी उपलब्धक कराता है।

2. **ऑटोमोटिव उद्योगों का अनुसंधान और विकास:** इसमें डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल एण्ड अलाइड इण्डस्ट्री को बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुसंधान संस्थानों जैसे एआरएआई, पुणे, वीआरडीआई, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे और देश में अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में वाहनों के परीक्षण हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

3. **नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और अनुसंधान एवं विकास इंफ्रास्ट्रक्चेर प्रोजैक्ट (नैट्रिप):** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्वाएकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्या ऑटो सेक्टर के लिए आवश्यक आटोमोटिव टेस्टिंग, वेलिडेशन और अनुसंधान और विकास अवसंरचना का सृजन करना है।

नैट्रिप का उद्देश्य राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुरक्षा और उत्सर्जन रोडमैप की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव टेस्टिंग, वेलिडेशन, अनुसंधान और विकास तथा होमोलोगेशन सुविधाओं का सृजन करना है। इनका सृजन तीन मुख्य केन्द्रों उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में किया जाना है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए अधिकांश राशि दी है और सभी परियोजना आयातों के लिए सीमा शुल्क में पूरी छूट दी है, वहीं राज्य सरकारों ने रियायती दरों पर भूमि देने का प्रस्ताव किया है। इससे भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के साथ सुविधाजनक एकीकरण को आसान बनाने के लिए कोर वैश्विक क्षमताओं के सृजन का परियोजना उद्देश्य पूरा करने में सुगमता होगी।

4. **हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल):** इसे पूर्व में नमक विभाग द्वारा प्रबंध किए जा रहे सांभर, डीडवाना और खारगोडा स्थित नमक संसाधनों का अधिग्रहण करके भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्वो वाली कंपनी के रूप में 12-04-1958 को निगमित किया गया था। एचएसएल के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता उपलब्धू कराने हेतु बजट में एक करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

6. **भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल):** इसे 1986 में धारक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। इसकी छह सहायक कंपनियां हैं - भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), भारत पम्प एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल), तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड (टीएसपीएल), रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) और ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएंडआर)। समापन प्रक्रिया जारी है। पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अब स्वतंत्र क्षेत्र के उद्यम बन चुके हैं।

(i) भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), नैनी, इलाहाबाद - बीपीसीएल की स्थापना 01-01-1970 को हुई थी। यह मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूगल और रिसीप्रोकेटिंग पम्प, कार्बहोट और अमोनिया पम्प, रिसीप्रोकेटिंग कंप्रेशर और गैस/सीएनजी सिलेण्डरों का विनिर्माण करती है। दिसम्बर, 2005 में कंपनी के पुनरूद्धार और पुनर्गठन के लिए एक योजना अनुमोदित की गई थी। कंपनी के निदेशक मंडल का बीएचईएल, ओएनजीसी और ईआईएल के समर्थन से पुनर्गठन किया गया है।

(ii) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी), मुम्बई - कंपनी का 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह स्टील संरचना, ट्रांसमिशन लाइन टावर, ट्यूबवेल और हैंड पम्प आदि से संबंधित कार्य करती है। कंपनी की चार इकाइयां मुम्बई में मुलंड, भायखला, नागपुर और चेन्नई में स्थित है। कंपनी की पुनरूद्धार प्रक्रिया पर इसके अपने संसाधनों से वित्त पोषण हेतु विचार चल रहा है।

8. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के केपिटल गुडस सेक्टर का आधुनिकीकरण:** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए केपिटल गुडस सेक्टर के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

9. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वीआरएस के कार्यान्वनयन हेतु बैंक वित्त पर ब्याज सब्सिडी:** वीआरएस के कार्यान्वरयन हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त् का प्रबंध करने के लिए योजना के तहत देय ब्याज के लिए प्रावधान है।

10. **अन्य व्यय:** इसका प्रावधान फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोल गैसीकरण परियोजनाओं तथा औद्योगिक संघों के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोन्नयन गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु किया गया है। एफसीआरआई वर्ष 1987 में प्रवाह माप एवं नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों हेतु और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया हेतु प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए प्राथमिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के लिए यूएनडीपी परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें औद्योगिक संघों और प्रोन्नयन गतिविधियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा भुगतान आयुक्त, कोलकाता को सहायता अनुदान शामिल है।

11. **तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को अनुदान:** वाणिज्यिक विवाद को निपटाने के संबंध में मेसर्स मैक डेमॉल्ट इंक (एमआईआई) को किए गए शेष भुगतान की पूर्ति करना है।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को लाभ पहुंचाने हेतु परियोजनाओं /स्कीमों के लिए धन उपलब्ध कराता है।

15.01. **सार्वजनिक उपक्रमों को गैर योजनागत ऋण:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों के अपने संसाधनों में अंतराल को अंशत: पूरा करने के लिए गैर योजना ऋण के लिए है। इसमें वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों के सांविधिक देयराशियों में कमी हेतु 250.00 करोड रुपए का एक मुश्त प्रावधान शामिल है।

15.02. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए एकमुश्त प्रावधान:** 150 करोड रुपए का एकमुश्त प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के हानि उठा रहे उद्यमों की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए है। प्रावधान इस विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य् उद्यमों को निधि की आवश्यकता के लिए भी है तथा यह सरकारी अनुमोदन के आधार पर है।

15.03.01. **भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) -:** इसे 1986 में धारक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसकी सात सहायक कंपनियां बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शंन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएम) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एलजेएमसी) है। इनमें से दो सहायक कंपनियों जेसीएल और

एलजेएमसी के संबंध में अधिकांश शेयर स्ट्रेटजिक भागीदारी को सौंपे जा चुके हैं। बीपीएमईएम और इसकी सहायक वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्यू को आईएल) बंद हो चुकी है। कंपनी का परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और रिफैक्ट्रीआ इकाइयां और दो सहायक कंपनियां अर्थात भारत ब्रेक्स एंड वाल्वैस लिमिटेड (बीबीवीएल) और रेरोल बर्न लिमिटेड (आरबीएल) को भी बंद कर दिया गया है। बीबीयूएनएल की तीन प्रचालनरत सहायक कंपनियों में से दो कंपनियों नामत बीएससीएल, सीसीएल रूग्णक थी और बीआईएफआर को सौंपी गई थी। विनिर्माण कंपनी होने के कारण मैसर्स बीबीजे रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एसआईसीए) के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिश के आधार पर वित्तीय पुनर्संरचना के माध्यम से इन चार कंपनियों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया । बीआरपीएसई की सिफारिश के आधार पर बीसीएल और बीबीजे की पुनर्संरचना सरकार द्वारा पहले ही कर दी गई है। दिनांक 13-08-2008 को बीडब्ल्यूईएल रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गयी है।

सरकार ने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की वित्तीय पुनर्संरचना और उसकी सहायक कंपनियां, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) और ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीएसएल) के प्रशासनिक नियंत्रण को रेल मंत्रालय को तथा बीएससीएल की रिफैक्ट्री इकाई इस्पात मंत्रालय (राज्यी मंत्री) के तहत स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को हस्तांतर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया गया है। सरकार ने बीबीयूएनएल और बीबीजे के विलय को भी अनुमोदन दे दिया है।

तदनुसार बीसीएल का प्रशासनिक नियत्रण दिनांक 06-08-2010 को रेल मंत्रालय को और सलेम (तमिलनाडु) बीएससीएल की रिफैक्ट्री इकाई सेल को तथा बीएससीएल का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को 15-09-2010 को हस्तांतर कर दिया गया है। बीबीयूएनएल और बीबीजे के विलय को मामले को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के परामर्श से लिया जा रहा है।

15.03.02. **एचएमटी लिमिटेड:** इसे 1953 में निगमित किया गया था। कंपनी देश के विभिन्न राज्यों में 16 इकाई और 22 उत्पाद प्रभागों के साथ एक प्रमुख बहुइकाई और बहु उत्पाद कंपनी बन गई। कंपनी उच्च प्रीसीशन मशीन टूल्स, प्रिंटिंग मशीनरी, लैंप और लैंप बनाने वाली मशीनरी, ट्रैक्टर, कलाई में पहनने वाली घडी बनाने से संबंधित मशीनरी, होरोलाजिकल मशीनरी, डेयरी मशीनरी के उत्पादन में संलग्न है। एचएमटी की 4 अव्यहवहार्य इकाइयां बंद हो गई है। तदुपरांत कंपनी की घडी, मशीन टूल्स, बियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार समूहों को संगठनात्मक पुनर्संरचना के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी बियरिंग लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड और एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है। एचएमटी बियरिंग लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्से लिमिटेड के पुनरूद्धार पैकेज को अनुमोदन दे दिया गया है। प्रागा टूल्सट लिमिटेड (पीटीएल) जोकि 1988 से एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी थी का अक्तूबर में पुनरूद्धार पैकेज को अनुमोदन देते समय सीसीईए के निदेशानुसार दिनांक 01-04-2007 को एचएमटी (एमटीएल) में विलय कर दिया गया है। एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी वाचेज लिमिटेड के पुनरूद्धार योजना विचाराधीन है।

15.03.03. **हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल):** हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) भारत सरकार का उपक्रम एचसीएल को 1952 में निगमित किया गया था और यह दूरसंचार केबल्स के विनिर्माण में संलग्न है । कंपनी की तीन इकाइयां एक रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) , हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में तथा एक पृथक टर्नकी

http://indiabudget.nic.in

प्रोजेक्टर डिवीजन थी । कंपनी बीआईएफआर द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) के तहत दर्ज है और भारतीय स्टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी, खडगपुर और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी (डीसीएल) को कंपनी की पुनर्संरचना के लिए अध्ययन हेतु एचसीएल द्वारा नियुक्त किया गया। एचसीएल के भविष्य के संबंध में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एचसीएल के भविष्य के संबंध में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बीआरपीएसई ने एचओके की इकाइवार और समग्र रूप से कंपनी के विस्तृत अध्ययन आईआईटी, खड़गपुर द्वारा करवाने की सिफारिश की जिससे दिनांक 17.08.2007 को बीआरपीएसई को अग्रेषित किया गया। दिनांक 9.1.2008 को हुई बैठक में बीआरपीएसई ने एचसीएल के पुनरूद्धार के लिए सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों से संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने की सिफारिश की जिसके विफल हो जाने पर बैलेंस शीट के शोधन के पश्चात पूर्णत विनिवेश किया जाएगा। तदनुसार,संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

15.03.04. **स्कूटर्स इंडिया लि:** स्कूटर्स इंडिया लि कंपनी को 1972 में निगमित किया गया था। अब यह कंपनी तीन पहिए वाहन के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी 2006-07 से हानि उठा रही है और बीआईएफआर को सौंपी गई है। बीआरपीएसई ने 28.07.2010 को कंपनी का पुनरुद्धार प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके पुनरूद्धार के लिए एक उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के लिए प्रयास करने की सिफारिश की।

15.03.05. **त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्से लि., नैनी इलाहाबाद::** कंपनी की स्थापना 1965 में की गई थी। कंपनी मुख्यत: भवन संरचना टावर प्रेशर वेसल्स, पाइप्स और पेनस्टाक आदि से संबंधित कार्य में संलग्न है। कंपनी सरकार क्षेत्र का रूग्ण उपक्रम है और बीआईएफआर के साथ-साथ एएआईएफआर ने उसको बंद करने की सिफारिश की है। सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रम के साथ संयुक्त उद्यम के गठन के प्रयास सफल नहीं हुए। अन्य विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

15.03.06. **तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टकस , हास्पेट कर्नाटक:** कंपनी की स्थापना 1960 में की गई थी। कंपनी मुख्यत हाइड्रालिक संरचना, पेनस्टाक, भवन संरचना, ट्रांसमिशन लाइन टावर आदि के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी बीआईएफआर को सौंपा गया सरकारी क्षेत्र का रूग्ण उपक्रम है। कंपनी का पुनरूद्धार करने की दष्टि से संयुक्त उद्यम भागीदार बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

15.04.02. **हिंदुस्तासन फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चारिंग कंपनी लि.(एचपीएफ):** कंपनी को 1960 में निगमित किया गया था। कंपनी फोटोसंसटाइज्ड फिल्मै, सीने पाजिटिव, सीने फिल्मस सांउड निगेटिव, मेडिककल एक्स रे फिल्म आदि के विनिर्माण में संलग्न है। 1992-93 से कंपनी प्रतिवर्ष हानि उठा रही है। निवल मूल्य ऋणत्मक हो जाने के बाद कंपनी 1995 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपी गयी। उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के लिए नए पनुरूद्धार योजना की जांच करने हेतु मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की गई है। दिनांक 22.4.2008 को बीआरपीएसई के विचारार्थ नोट भेजा गया। परामर्शदाता ने मई में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदुनसार, दिनांक 1.8.2008 को बीआरपीएसई ने कंपनी की कारोबार योजना बनाई जिसके आधार पर निरंतर प्रचालनों के लिए लंबित आर्डर को पूरा करने हेतु कार्यशील पूंजी के लिए सरकार ने गैर योजनागत ऋण के रूप में 30 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता का अनुमोदन दिया है।

दिनांक 5.3.2010 को हुई बैठक में बीआरपीएसई ने एचपीएफ के पुनरूद्धार की सिफारिश की है।

तदनुसार इसके उद्धार के लिए तमिलनाडु सरकार से परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है।